SHRI I.D. SWAMI'.The Government does not act on newspaper reports alone ...*{Interruptions)...*

SHRI JIBON ROY: You act on your own. ...*(Interruptions)...*

Controversy over application of POTA in U.P.

*26. DR.ABRARAHMED:†

SHRI SUKHDEV SINGH LIBRA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have taken note of the controversy arising out of the recent application of POTA in Uttar Pradesh;

(b) if so, the details of the case and views of the State Government thereon;

(c) whether Centre propose to forward some advice to the State Government on this development; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE INTHE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI HARIN PATHAK): (a) and (b)The Government of Uttar Pradesh has informed that S/Shri Udai Pratap Singh, Raghuraj Pratap Singh and Akshay Pratap Singh have committed offences under the POTA, 2002 and the action has been taken against them under the said Act.

(c) and (d) Implementation of POTA, 2002 is the responsibility of the State Govemments/UT Administrations, law and order being the State subject.

" **डा. अबरार अहमद :** सभापति महोदय, जब देश के अंदर पोटा कानून बनाया गया उस समय...(व्यवधान)...

श्री सभापति : आप सीधा क्वश्चन कीजिए ।

डा. अबरार अहमद : मैं सीधा क्वश्चन ही पूछ रहा हूं, आप बोलने तो दीजिए ।

श्री सभापति : आई विल नॉट् एलाउ स्पीच ।

डा. अबरार अहमद : सभापति महोदय, मैंने अभी मुंह तो खोला नहीं और आप...(व्यवधान)

†The question was actually asked on the floor of the house by Shri Abrar Ahmed.

डा. अबरार अहमद : सभापति महोदय, मैंने मुंह तो खोला नहीं ।...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप क्वश्चन पूछिए ।...(व्यवधान) आप सीधा क्वश्चन करिए ।

डा. अबरार अहमद : सभापति महोदय, मैं क्या पूछूं, आप तो पूछने से पहले ही मुंह बंद करना चाहते हैं ।

श्री सभापति : क्योंकि आप भाषण देने लगे हैं। इससे मै एग्री नहीं करूंगा ।

डा. अबरार अहमद : महोदय, मैंने मुंह नहीं खोला और आप उसके पहले ही मुंह पर ताला लगा रहें हैं ।...(व्यवधान) मैंने मुंह नहीं खोला और उससे पहले आप मुंह बंद करना चाहते हैं ।

श्री सभापति : आप क्वश्चन करिए ।

डा. अबरार अहमद : सभापति महोदय, अभी तो मैंने मुंह नहीं खोला ।

श्री सभापति : अच्छा, आप मुंह खोल लीजिए और क्वश्चन करिए ।

डा. अबरार अहमद : मैंने मुंह नहीं खोला ।

श्री सभापति : अब आप मुंह खोलिए ना ।

डा. अबरार अहमद : पहले आप सुनिए । मैंने क्वश्चन लगाया हैं इसलिए मेरा राइट है । महोदय, मैं यह कह रहा था कि जब देश के अंदर पोटा कानून बनाया गया उस समय कांग्रेस पार्टी और अन्य बहुत से दलों ने इसका विरोध किया था तो केन्द्र सरकार ने सदन को और सारे देश को यह विश्वास दिलाया था कि देश के अंदर इसका दुरूपयोग नहीं किया जाएगा और पोटा के दुरूपयोग के लिए आज जब जवाब दिया जाता है तो यह कहा जाता है कि राज्य का दायित्व हैं । इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के संबंध में यह प्रश्न है और जब वहां की मुख्य मंत्री मायावती खुले रूप से किसी विधायक के लिए की देती है कि हमारे साथ रहेंगे तो बख्श दिये जाओगे और अगर बाहर जाओगे तो " पोट" लगा दिया जाएगा । जब "पोटा" आतंकवादी गतिविधि, देशद्रोही गतिविधि पर लगाया जाता है, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में जब यह लगया गया तो वे मुलजिम कौन सी गतिविधि के अंतर्गत आते है, यह माननीय गृह मंत्री जी बताएं ।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : सर, फैक्ट्स रिमेंस कि उत्तर प्रदेश में जो "पोटा" इस्तेमाल किया गया हैं, उन्होंने रिपोर्ट भेजी और उन्होंने एक काम और भी किया है, हमारे देश में इंडपेंडेंट जूडिसियरी है, उन्हें डैजिग्नेटेड कोर्ट के सामने पेश किया गया और डेजिग्नेटेड कोर्ट ने एक महीने का जूडिसियरी रिंमाड दिया है । सर, सारे फैक्ट्स उन के सामने जाते हैं...(व्यवधान)...

श्री हंसराज भारद्वाज : सर, 80 साल का आदमी जो कि बिस्तर पर लेटा हुआ है, उस को "पोटा " में पकड़ने का यह कौन सा तरीका है...(व्यवधान)...

SHRI I.D. SWAMI: Ultimately, we will have to accept somebody as the final arbiter of this matter, and it is the Judiciary. The matter has been brought before the Judiciary. ...*(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, in one case, you have said that you would impose POTA in the national interest, and you would withdraw POTA in the public interest. What kind of Government is this?You impose POTA in the national interest and withdraw it in the public interest. ...*(Interruptions)*...

SHRI I.D. SWAMI: Sir, we are not withdrawing it in the Public interest. But the court takes the decision.The matter goes before the Designated Court. The Special Court has given the remand for 30 days. That is all that we Gan say. The U.R Government has sent the report. But, the matter has gone before the Court. ...*(Interruptions)*...They will appear again after one month. ..*(Interruptions)*...

SHRI JIBON ROY: Sir, this is a very serious matter. ...*(Interruptions)* ...The Government should come out with some statement, not only with regard to one State, but also with regard to other States. ...*(Interruptions)*...

SHRI C.RTHIRUNAVUKKARASU: Sir, in the State of Tamil Nadu also, POTA has been imposed by the State Government against an MP and MLAs; and an MP and many MLAs have been arrested under POTA. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति : अभी प्रश्न यू.पी. का हैं ।...(व्यवधान)...माननीय सदस्य आप बैठिए । पहले डा. अबरार जी अपना दूसरा सप्लीमेंटरी पूछेंगे ।

डा. अबरार अहमद : मेरे पहले सवाल का उत्तर बिल्कुल नहीं आया कि किस आधार पर इन्होंने देश को, संसद को विश्वास दिया था कि "पोटा" का दुरूपयोग नहीं होगा । मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी यह हैं कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय उप-प्रधान मंत्री जी से मिली थीं तो क्या उन्होंने इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री से कोई बात की हैं ...(व्यवधान)...उत्तर प्रदेश की घटनाओं के बारे में जिस प्रकार से तोगड़िया जी खुलकर बयान दे रहें हैं और देश के अंदर आतंकवाद और भय पैदा कर रहें हैं...(व्यवधान)...जिस प्रकार से देश के लोगों को डरा रहें हैं. तो क्या वह "पोटा" के अंतर्गत एक फिट केस नहीं है ?

SHRI I.D. SWAMI: Sir, with due respect, it is submitted that this is only a statement made by the hon. Member. It has nothing to do with this question.

DR. ABRAR AHMED: Sir, this is not merely a statement. *(Interruptions)They* should give proper reply ...*(Interruptions)*.. महोदय, मेरे एक सवाल नहीं दिया गया तो क्या मतलब हैं क्वेश्चन लगाने का ? आप इसे मानते हैं कि इसका दुरूपयोग हो रहा हैं...(व्यवधान)...

श्री सभापति : श्री जनेश्वर मिश्र ।

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति जी, "पोटा" केन्द्र सरकार ने पास किया । यह केन्द्रीय कानून है और उस समय माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इसका दुरूपयोग नहीं होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस विधायक को "पोटा" में गिरफ्तार किया गया, वह "भाजपा" सरकार का मंत्री था । मायावती सरकार में उस ने शोर मचाया कि मैं इस सरकार को गिराऊंगा और यह बयान देने के बाद वह सक्रिय हुआ तो उस पर "पोटा" लगाया गया । क्या इसका दुरूपयोग नहीं हुआ और राज्य सरकार ने दुर्भावना से यह काम नहीं किया, यह आप कहना चाहते हैं, अगर किया है तो उसे आप कैसे सुधारेंगे ?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: सर, अभी तक स्टेट्स में जितने केसेज "पोटा" के हुए हैं, किसी भी कोर्ट से कोई ऐसी स्ट्रिक्चर या कोई ऐसी फाइंडिंग सेंट्रल गवर्नट को नहीं आई हैं । ...(व्यवधान)...सेंट्रल गवर्नमेंट तो जब कोई कार्यवाही करेगी जब कोई इस तरह की फाइंडिंग होगी जिस में हमें इस पर पुनर्विचार करना पड़े । जब तक कोर्ट की ऐसी फाइंडिगं नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पूरी रिपोर्ट भेजी है आर्म्स एंड एम्युनिशन के बारे में, उस वक्त तक we have to go by the report of the State Government.

श्री जनेश्वर मिश्र : सर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला ।

श्री सभापति : डा. मनमोहन सिंह जी ।

DR. MANMOHAN SINGH: Sir, this is a serious question. I regret to say that the hon. Minister is evading the issue that has been raised. That is hardly the way to treat such an important question in the House.

उप-प्रधान मंत्री, गृह मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : सभापति जी, पोटा को जिस समय संसद ने स्वीकार किया, उस समया यह बात कही गई थी कि हम चाहेंगे कि इस पोटा का, जो असाधारण कानून है, इस असाधारण कानून का कोई दुरूपयोग न करे । लेकिन, जहां तक केन्द्रीय सरकार का सवाल हैं, केन्द्रीय सरकार अपने बारे में ही कह सकती है कि हम दुरूपयोग नहीं करेंगे अन्यथा...(व्यवधान)...

SHRI JIBON ROY: A guarantee must be given that POTA will not be misused.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति जी, मेरी बात सुन ली जाए । इसके बाद माननीय सदस्य बोलें ।...(व्यवधान)...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पहले आप उत्तर सुन लें । ...(व्यवधान)...माननीय सदस्य, पहले गृह मंत्री जी का उत्तर सुन लें और उसके बाद कोई बात पूछनी हो तो पूछें ।...(व्यवधान)...

SHRI JIBON ROY: If you cannot use the law properly, then why did you pass the Act in the first place?... (*Interruption)*...

श्री सभापति : देखिए ।...(व्यवधान)...आप बैठिए । बैठिए, प्लीज ।

डा. अबरार अहमद : सर, हमारे प्रश्नों के जवाब नहीं मिले है । किस आधार पर फिर पूछे ।...(व्यवधान)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सर, मुझे स्मरण है कि उस बहस में भी कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर बल दिया था कि अधिकांश राज्य सरकारें जो हैं, वे तो केन्द्रीय सरकार की पार्टी वाली नहीं है और इसलिए ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप जवाब क्यों नहीं सुन रहे ?...(व्यवधान)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सर, वे नहीं सुनेंगे, वह तो पोलिटिकल इश्यू है...(व्यवधान)..

SHRI JIBON ROY: The hon. Minister is expressing his helplessness by saying so.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सर, मैं इसीजिए कह रहा हूं कि यह मामला जो हैं, वह चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे कहीं और का हो, लेकिन जहां तक केन्द्रीय सरकार का सवाल है, उसने कभी इसका दुरूपयोग नहीं किया । अभी-अभी थोड़ी देर पहले पोटा का दुरूपयोग हुआ है...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी : सर, केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी हुआ करती है । केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती ।...(व्यवधान)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अगर किसी और सरकार ने इसका दुरूपयोग किया है,...(व्यवधान)...प्लीज,सर,मामला अदालत में हैं । अदालत जो फैसला करेगी, वह स्वीकार करेगी ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे इम्पोर्टेण्ट क्वेश्चन पर अगर आप शांति से कोई जानकारी लेना चाहेंगे तो उससे सदन का भी लाभ होगा, जनता का भी लाभ

होगा । आप बीच में अग इंटरप्ट करते जाएंगे तो उससे कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है और मैं एलाउ भी नहीं करूंगा ।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I would like to know one thing from the hon. Home Minister. POTA is an Act passed by the Parliament. He gave the assurance to the Parliament that the Act won't be misused, and on the basis of that assurance, the hon. Members voted for the Bill, it was passed and it became an Act. It was passed in Jhe joint session. At that time, it was assured that POTA won't be misused, and now, if the hon. Home Minister wants to take cover under a technicality that only certain State Governments are misusing it and my assurance is limited only to the action of the Central Government, then, most respectfully, I would like to submit that the hon. Home Minister is not doing justice to the assurance which he gave to the Members of Parliament while getting this Act passed. He owes an explanation to the House as to how he gave that assurance, knowing fully well, that if the State Governments misuse it, he won't be able to control it. Therefore, he should explain his position as to why he gave such an assurance.

.. श्री सभापति : मैं आपसे यह जानकारी चाहूंगा कि इसका मिसयूज हुआ या नहीं, ...(व्यवधान)...एक मिनट, आप ठहरिए । मिसयूज हुआ या नहीं, इसका फैसला कौन करेंगा ?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, that is for the Government of India to do. If the hon. Home Minister says that there is no misuse, I decline to accept his word. Mind it, Sir, what he said was that if it is misused by the State Governments—if I am wrong I am subject to correction— the Central Government is not responsible for that. My objection is to that. When the Home Minister gave an assurance to the Parliament, the Parliament passed this Act. "I assure you that it will not be misused."—he owes this assurance, and he should say that he fulfils this assurance. ...*(Interruptions)*...

AN HON. MEMBER: The Home Minister holds the same view what Mr. Rajnath expressed!

SHRI L.K. ADVANI: Sir, so far as this matter is concerned, it is not a matter of technicality. The hon. Member has said that I should not take shelter behind a technicality. Even though it is not a technicality, the fact that the Central Government's authority and the State Government's authority in matters relating to law and order are different, this is a hard Constitutional reality. It is not a technicality, but, Sir,...(*Interruptions)*....

SHRI JIBON ROY: Why did you give the assurance? ...*(Interruptions)*... why did you give the assurance?... *(Interruptions)*... This shows how you are fulfilling your assurance!... *(Interruptions)*...

SHRI L.K. ADVANI: Sir, there are so many issues, so many Bills, Even the IPC and Cr. PC are Central laws.That does not make the IPC, the Cr. PC. ...*(Interruptions)*...

SHRI JIBON ROY: You are speaking in a different language. ...*(Interruptions)*...

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, this is highly objectionable.

SHRI L.K. ADVANI: Sir, so far as U.P. is concerned. ...*(Interruptions)*... So far as U.P. is concerned, I have not said that only because it is a State Government, its misuse is permitted. I have not said that. I have simply said that there is nothing on record to tell me that it has been misused. Nothing. Let the court decide; I have no objection. ...*(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SJBAL: Sir, the hon. Minister has said that it is the Central Government which is responsible for the acts done by it. In the case of Geelani, it is the Central Government that imposed POTA, and it is the Central Government which withdrew it. He said, "We are imposing it in our national interest, and we are withdrawing it in public interest!" And so far as States are concerned, underTADA, in fact, the Central Government set up Central Review Committees. Even though there was a State law applicable to each State, they set up the Central Review Committees, and called for reports from the States, to ensure that there is no misuse of TADA. Will the hon. Minister set up the Central Review Committees for POTA also? Will the Minister give us an assurance in this House?

SHRI L.K. ADVANI: It is a suggestion for action; I will consider. ....*(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL: Give us an assurance. ...*(Interruptions)*... Give us an assurance. Give us an assurance in this House. ...*(Interruptions)*...

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ**:** What about the MLAs? ...(Interruptions)... Fifteen MLAs have been sentenced under POTA? ...*(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL: What about the Geelani case? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Q. No. 27. ...*(Interruptions)*...

*27. [The questioner (Shri Anil Sharma) was absent. For answer *vide* pages 31 -32 *infra.]*

SHRI KAPIL SIBAL: What about Mr. Geelani?

SHRI L.K. ADVANI: He was sentenced under the Official Secrets Act, which was withdrawn ..... *(Interruptions)...*

SHRI KAPIL SIBAL: You did it inTADA. Why can't you do it in POTA? *...{Interruptions)...*

SHRI L.K. ADVANI: Sir, *...{Interruptions)...* Only recently, the Government of India applied POTA. *...(Interruptions)...*

SHRI KAPIL SIBAL: Geelani, ultimately, was being prosecuted for obscenity. For obscenity, becuase nothing could be found against him.

MR. CHAIRMAN: Q. No. 29.

श्री नीलोत्पल बसु: गिलानी केस का क्या होगा ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : आप दोनों सीनियर ऐडवोकेट्स हैं, मैं आपसे एक बात की जानकारी चाहूंगा कि जो मैटर कोर्ट में है, उसके बारे में गवर्नमेंट कैसे कह सकती हैं ? ...(व्यवधान)...

श्री कपिल सिब्बल : मैं बताता हूं ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी : हम उसकी व्याख्या नहीं जानना चाहते, लेकिन वह उसका उदाहरण दे सकती है...(व्यवधान)...

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, we do not accept this explanation. We are walking out.

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

*29. *[The questioner (SHRIMATI AMBIKA SON I AND DR. T. SUBBARAMI REDDY were absent for answer vide pages* 32-33.]

National Electric Power Survey

*30. SHRI LALITBHAI MEHTA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 15th National Electric Power Survey carried out by Central Electricity Authority projected the need for capacity augmentation by 55000 MW for the Tenth Plan;

(b) if so, the reasons for targeting the augmentation of 41100 MW during Tenth Plan; and

(c) what steps are being taken to bridge the energy deficit during Tenth Plan period in the country?